FORM NO. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of District collector .... at- Phalodi

अनवानः— ग्रामवासी जाम्बा चारणाई जरिये प्रतिनिधि मदन सोनी वगैरा बनाम सरकार वगैरा

मुकदमा नं.:— 2023/108

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
07/1/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही स्थगित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना में अपीलांट के अधिवक्ता ने बताया कि इसी प्रकरण में संभागीय आयुक्त जोधपुर के आदेश क्रमाांकः राजस्व/3242 दिनांक 30.09.1982 के विरूद्व रेस्पोडेन्टस ने अपील पेश कर रखी है। जिसका निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान में होना शेष है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान में अपील विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी तक कार्यवाही स्थगित रखा जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है। अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त , जोधपुर के द्वारा पारित अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान में होना बताया गया गया है। प्रकरण में संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 11.02.2009 अपील संख्या 03/2007 ग्रामवासी जाम्बा व चारणाई जरिए मदन सोनी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 1932/2009 लिखमाराम बनाम मदन सोनी व अन्य प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रति के अनुसार प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.03.2009 को अन्तरिम आदेश बाबत सीगन भी पारित किया गया है। अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा उक्त अन्तरिम आदेश वर्तमान में भी प्रभावी होना दौराने बहस व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार भंवरलाल व अन्य वारिसान मानकाराम बनाम ग्रामवासी जाम्बा के उनवान से अपील संख्या 1997/2009 की संभागीय आयुक्त के उक्त निर्णय दिनांक 11.02.2009 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई है। इसमें भी दिनांक 20.03.2009 को आदेश पारित किया गया है कि संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.02.2009 में अंकित विवादग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की स्थिति आगामी आदेश तक यथावत रखी जाती है। उक्त आदेश भी वर्तमान में प्रभावी होना उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय में लम्बित उक्त अपील प्रकरण औचित्य विहिन हो गया है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में विधिक तौर पर कोई भी आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय के अनुरूप आगामी कार्यवाही की जावे।	

जिला कलक्टर

फलौदी